12 जुलाई 2010 को आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 69 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 69 वीं बैठक 12 जुलाई 2010 को दोपहर 2.30 बजे बोर्ड के कोच्ची स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई ।

श्री. वी. जे. कुरियन भा.प्र.से, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डॉ. विजू जेकब, उपाध्यक्ष
2. श्री एस .अहम्मद
3. श्री तेजपाल सिंह(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि)
4. श्री जी. मुरलीधरन
5. श्री अबुल कलाम
6. श्री जोजो जॉर्ज
7. श्री जॉर्ज वैली
8. श्री फिलिप कुरुविळा
9. श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन
10. श्री देवेन्दर सिंह रघुवंशी

निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्री तिरुच्चि शिवा, सांसद(रा.स.)
2. श्री अनन्त कुमार हेगडे, सांसद(लो.स.)
3. श्रीमती सुतपा मजुंदार
4. डॉ.वी. प्रकाश
5. डॉ.वी. ए. प्रार्थसारथी
6. श्री एन. सी. साहा
7. डॉ. एन. मुरुगेशन
8. श्री के.सी. प्रधान
9. श्री माथवन
10. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
11. श्री अजय जे. मारीवाला
12. श्रीमती अमरीत राज

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित थे :-

1. श्री. पी. टी. थॉमस, सांसद(ले.स.)
2. सचिव, कृषि, केरल सरकार
3. सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि
4. श्री. राजेन्द्र पी. गोखले
5. श्री रोय के पाउलोस
6. श्री जोस कोंपनात्तोट्टम
7. एड्. जोय थॉमस
8. श्री अतनु पुरकायस्था

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :-

1. डॉ. चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक(वित्त/विपणन)
2. डॉ. जे.थॉमस, निदेशक(अनुसंधान)
3. श्री पी.एम. सुरेषकुमार, प्रभारी सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया और पहली बार बैठक में उपस्थित सदस्यों नामतः देश के वरिष्ठतम आई ए एस अधिकारियों में से एक, अपर मुख्य सचिव(बागान/कृषि), राजस्थान सरकार के पद पर कार्यरत श्री एस. अहम्मद, मध्यप्रदेश के गुना से पधारे प्रगतिशील कृषक व राजनीतिज्ञ श्री. देवन्दर सिंह रघुवंशी और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री तेजपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी, को परिचित कराया ।

कार्यसूची पर टिप्पणी चर्चा केलिए ली गई ।

मद सं:1 : <u>30.03.2010 को आयोजित बोर्ड की 68 वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण</u>

पुष्टि की गई ।

मद सं : 2 : <u>30.03.2010 को आयोजित 68 वीं बोर्ड - बैठक पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट</u>

श्री पी.एम . सुरेषकुमार, प्रभारी सचिव ने 30.3.2010 को आयोजित पिछली बोर्ड-बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाइयों के बारे में संक्षेप में बताया ।

बोर्ड ने नोट किया ।

मद सं:3 : <u>वर्ष 2010-11 केलिए बजट आबंटन</u>

डॉ . चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक(वित्त) ने बजट आबंटन तथा 2009-10 के वास्तविक खर्च का ब्यौरा दिया । प्लान के अधीन 142.90 करोड रुपए तथा गैर-प्लान के अधीन 9.50 करोड रुपए के हमारे बजट आकलन के मुकाबले सरकार की ओर से क्रमशः 85.00 करोड रुपए तथा 4.00 करोड रुपए का आबंटन हुआ है । 442.86 करोड रुपए के ग्यारहवीं प्लान आबंटन की तुलना में यह आबंटन प्लान अवधि के आरंभिक तीन सालों केलिए बहुत कम है । अध्यक्ष महोदय ने आशा प्रकट की कि संशोधित आकलन 2010-11 में निधि का अतिरिक्त आबंटन हमें प्राप्त होगा ।

मद सं : 4 :- परेषण नमूनन व भराव कार्य पर ऑन लाइन प्रणाली

डॉ. चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक(विपणन) ने सूचित किया कि वर्ष 2003 में यूरोपीय यूनियन से प्राप्त रैपिड एलर्ट नोटिफिकेशन के तहत बोर्ड ने देश से निर्यात किए जानेवाले मिर्च, मिर्च उत्पाद व हल्दी पाउडर की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उनका अनिवार्य लदान-पूर्व नमूनन, भराव, विश्लेषण व प्रमाणन पेश किया है । नमूनन व भराव का कार्य निजी एजेंसियों की सहायता से किया जाता है । हम ने एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिए निर्यातक परेषण नमूनन तथा कन्टेनर भराव के बारे में ऑन-लाइन सूचना दे सकते हैं जिससे काम आसान बन गया है । निर्यातकों से आवेदन ऑन-लाइन प्राप्त किया जाएगा और नमूनन व भराव करनेवाली एजेंसियों को ऑन-लाइन ही सूचना दी जाएगी । वर्तमान तौर पर बहुत कम निर्यातकों ने ही इस प्रणाली का प्रयोग किया है । बोर्ड सभी निर्यातकों की भागीदारी के साथ इस ऑनलाइन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा करता है ।

श्री. जोजो जॉर्ज ने जानना चाहा कि क्या सभी मसालों केलिए इस ऑन लाइन प्रणाली का परीक्षण किया गया है या नहीं । यह सूचित किया गया कि केवल मिर्च, मिर्च उत्पाद व हल्दी पाउडर केलिए ही अनिवार्य नमूनन रखा गया है जिसकेलिए ऑनलाइन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है ।

मद सं.5 : जायफल व जावित्रि में निर्यात उत्कर्ष केलिए अलग पुरस्कार

डॉ. चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक(विपणन) ने सूचित किया कि जायफल व जावित्रि, दोनों मिलकर, के निर्यात में हाल के वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, वर्ष 2009-10 में यह 91.87 करोड रुपए मूल्यवाला 3275 टन था । हमारे निर्यात उपार्जन में बढते अंशदान पर विचार करते हुए, इन जिन्सों के निर्यातकों ने अन्य मसाला मदों, जिनकेलिए पहले से ही निर्यात पुरस्कार हैं, के साथ साथ इस मद की निर्यात- उत्कृष्टता केलिए भी पुरस्कार प्रारंभ करने की माँग की है ।

श्री पी. जे. कुञ्ञच्चन ने अदरक तैलीराल जैसे नए उत्पादों, जिनका अधिक मूल्य योजन द्वारा उत्पादन किया जाता है, जो सामान्य तेल व तैलीरालों से भिन्न है और इसकी निर्यात- मात्रा यद्यपि बहुत कम हो, केलिए एक पुरस्कार की माँग की है जिससे इनके निर्माता-निर्यातकों के पहल को उचित मान्यता व प्रोत्साहन मिल जाएँ ।

श्री. फिलिप कुरुविळा ने सुझाया कि नए उत्पादों व नई विपणियों को यद्यपि पहले से ही पुरस्कार दिए जाते हैं तो प्रस्तावित पुरस्कार नूतन उत्पादों केलिए होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अगर हम प्रत्येक मसाला व उत्पाद केलिए अलग-अलग पुरस्कार दें तो हर साल हमें 40-45 निर्यात पुरस्कारों की ज़रूरत पडेगी । फिर भी, उन्होंने 'सबसे नूतन उत्पाद' केलिए निर्यात पुरस्कार प्रारंभ करने के सुझाव का स्वागत किया और बताया कि बोर्ड अपने सदस्यों के विचारार्थ 'सबसे नूतन उत्पाद' के चयन की विधि व संदर्शन सहित अगली बोर्ड बैठक में कार्यसूची पर एक टिप्पणी के रूप में यह प्रस्ताव लाएगा ।

बोर्ड ने जायफल और जावित्री केलिए निर्यात पुरस्कार प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं : 6 :- <u>अप्रैल - मई 2009 की तुलना में अप्रैल-मई 2010 के दौरान भारत से मसालों के निर्यात की पुनरीक्षा</u>

निदेशक(विपणन) ने उपर्युक्त अवधि केलिए निर्यात सांख्यिकी का संक्षिप्त विवरण दिया और सूचित किया कि मात्रा और मूल्य के हिसाब से 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह बात विशेष रूप से सूचित की गई कि छोटी इलायची का निर्यात पिछले वर्ष के 750 मे.ट. से वर्ष 2009-10 के दौरान 1975 मे.ट. होकर बढ गया है ।

बोर्ड ने स्थिति नोट की ।

मद सं: 7 :- <u>अप्रैल - मई 2009 की तुलना में अप्रैल-मई 2010 के दौरान भारत में मसालों के आयात की पुनरीक्षा</u>

बोर्ड ने नोट किया । फिर भी, सूचित किया गया कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस अवधि के दौरान आयात मात्रा के हिसाब से कम था लेकिन मूल्य के हिसाब से अधिक रहा ।

चर्चा के दौरान, श्री एस. अहम्मद, आई.ए.एस ने राजस्थान के कोटा, जो देश के धनिया व खसखस बीज का प्रमुख उत्पादन केन्द्र है, में मसाला पार्क स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में बताया।

श्री फिलिप कुरुविला ने बताया कि हाल में तैलीराल उद्योग को, अग्रिम लाइसेंस के अधीन मसालों के आयात केलिए निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु मूल्य योजन तथा पुनःनिर्यात की समयावधि बढा दी गई है जबकि अन्य उत्पादों के मामलों में यह अमल नहीं किया गया है । इस बात पर एक सर्वसम्मति सहित निर्णय केलिए उन्होंने बोर्ड से उस पर चर्चा करने का अनुरोध किया । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस बात पर कोई निर्णय केवल सरकारी स्तर पर लिया जा

सकता है और सरकार के पास एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल को भेजने का सुझाव दिया । बोर्ड को सरकार की ओर से इस मामले पर पत्र प्राप्त हुआ है और सरकार को इसके लिए उचित जवाब भी दिया जाएगा ।

मद सं : 8 : <u>स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषण किए गए परेषण नमूनों की स्थिति ।</u>

बोर्ड ने स्थिति नोट की ।

मद सं:9:- <u>आई एस ओ/टी सी 34/एस सी 7 की बैठक</u>

यह सूचित किया गया कि आई एस ओ/टी सी 34/एस सी 7 की 26 वीं बैठक, मषाद, ईरान में 24-26 मई 2010 के दौरान आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष ने की थी । जैसे कि पाक शाकों केलिए वर्तमान में कोई विनिर्देशन नहीं है, भारत ने पाक शाकों केलिए आई एस ओ मानक के सूत्रीकरण केलिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । भारत ने अवैध रंजकों केलिए प्रस्ताविक जाँच विधि पर विधिमान्यकरण एवं आवश्यक विवरण भी प्रस्तुत किया है । बैठक के दौरान भारत द्वारा हींग पर आई एस ओ मानक केलिए एक और प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हम अधिक से अधिक मसालों केलिए आई एस ओ द्वारा अनुमोदित जाँच तरीके हासिल करने के प्रयास में हैं जो भविष्य में हमारे लिए मददगार होगा । यह एकदम अनिवार्य है कि एक यूनिफॉर्म कोड हो । एक तकनीकी समिति मसाले व मसाले उत्पादों केलिए विनिर्देशनों के समरूपण पर विचार कर रही है ।

मद सं 10: <u>गुण्टूर की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का कार्य</u>

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि गुण्टूर की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ हो चुका है ।

मद सं:11:- <u>गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला-गुजरात के गांधीधाम टाउणशिप में . जमीन का आबंटन</u>

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि काण्डला पोर्ट ट्रस्ट ने 1,33,64,603/-रु. के वैध भुगतान दर तथा एक रुपया प्रति वर्ष के अग्रिम पट्टा किराए पर एक एकड ज़मीन तीस वर्ष के लीज़ आधार

पर आबंटित करने का निर्णय लिया है । हमने इस बिक्री से सहमत होने का निर्णय लिया है । इसके लिए बोर्ड की अनुमति चाहिए, चूँकि गुजरात मसालों के मुख्य केन्द्रों में से एक है ।

डॉ. विजू जेकब का मत था कि इस पोर्ट से बहुत सारे मसालों का निर्यात होने के कारण काण्डला में एक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। श्री एस. अहम्मद, आई ए एस भी काण्डला में गुणवत्ता प्रयोगशाला से निर्यातकों को फायदा मिलने की बात पर सहमत रहे । उन्होंने राजस्थान में भी बीजीय मसालों केलिए एक गुणवत्ता प्रयोगशाला की इच्छा प्रकट की ।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं.12:- <u>मसाला पार्कों पर स्टैटस नोट</u>

निदेशक(विपणन) ने देश भर में प्रवृत्त व प्रस्तावित मसाला पार्कों के बारे में विस्तार से विवरण दिया । उन्होंने कहा कि पुट्टडी के मसाला पार्क का निर्माण कार्य पूरा होनेवाला है ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि वण्डनमेटु में कार्यरत इ-नीलाम केन्द्र को मई में पुट्टडी मसाला पार्क में जल्दी स्थानांतरित किया गया, चूँकि वण्डनमेटु के जमीन मालिक ने हमसे उनका परिसर छोड देने को कहा था । पार्क के अन्य कार्यकलाप औपचारिक उद्घाटन के बाद ही प्रारंभ होंगे । उन्होंने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि मसाला पार्क पुट्टडी का उद्घाटन मनसून, ओणम त्योहार व संसद सत्र के बाद व माननीय संघ मंत्रियों की सुविधानुसार अक्तूबर 2010 के दौरान प्रस्तावित है ।

श्री जी. मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें पुट्टडी में मसाला पार्क का कार्य शुरू होने की बात का बागान मालिकों व अखबारों की रिपोर्टों से पता चला था जिनमें भी पार्क का उद्घाटन 21 मई 2010 को हो जाने की बात थी । उन्होंने कहा कि माननीय सांसद व बोर्ड सदस्यों को, कम से कम आस पास से आए हुए सदस्यों को सूचित किए बगैर पुट्टडी में एक समारोह का आयोजन करना स्पाइसेस बोर्ड केलिए उचित नहीं है । इस पर कहीं न कहीं कुछ गलत फहमी व शिकायत हुई है । उन्होंने पुट्टडी के मसाला पार्क के उद्घाटन के बारे में इडुक्की से आए कृषक सदस्यों को सूचित न किए जाने पर असन्तोष प्रकट किया । उन्होंने बोर्ड-बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय को इस घटना के बारे में एक पत्र दे दिया और कहा कि वह पत्र माननीय सांसद का है । श्री जॉर्ज वैली भी श्री जी. मुरलीधरन से सहमत हो गया ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि पुट्टडी में मसाला पार्क का उद्घाटन नहीं हुआ है । वह केवल वण्डनमेट्टु से पुट्टडी में छोटी इलायची के इ-नीलाम केन्द्र के बदलने के परिणामस्वरूप, वहाँ इस केन्द्र के प्रारंभ होने का अवसर मात्र था और केवल व्यापारियों तथा इ-नीलाम से संबन्धित अन्य लोगों ने ही जो सामान्यतः उपस्थित होते है, भाग लिए थे । इसका प्रचार-प्रसार भी नहीं किया गया था । उन्होंने यह भी सूचित किया कि वण्डनमेट्टु में इ-नीलाम का औपचारिक रूप से उद्घाटन माननीय भूतपूर्व राज्य(वाणिज्य) मन्त्री श्री जयराम रमेश द्वारा किया जा चुका था और नए परिसर में स्थानांतरण के समय पुनः उद्घाटन की जरूरत नहीं है ।

श्री जोजो जॉर्ज ने पुट्टडी मसाला पार्क में स्थापित प्लान्ट और मशीनरी का कार्य देखने की इच्छा प्रकट की ।

अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि वहाँ कुछ ट्रायल-टन चलाए गए है । हम सोर्टिंग मशीन के स्कैनर सहित वहाँ स्थापित कुछ उपकरणों का संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं । उद्योग केलिए और बोर्ड के सदस्यों को पार्क के क्रियाकलाप तथा प्लान्ट और मशीनरी देखने और समझने केलिए पार्क के औपचारिक उद्घाटन, जो अक्तूबर में हो सकता है, के एक सप्ताह पूर्व एक कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है ।

अन्य मसाला पार्कों के मामले में, अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हम राजस्थान के झालारपाटन में राज्य बागवानी मिशन की सहायता से एक प्रदर्शन खण्ड-व-नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू करने की बात सोच रहे हैं जिसके लिए हमने राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसन्धान केन्द्र, अजमेर से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है ।

श्री एस. अहमद ने सूचित किया कि कोटा में पार्क स्थापित करने केलिए आबंटित की जानेवाली जमीन केलिए राजस्थान सरकार स्पाइसेस बोर्ड से कोई शुल्क नहीं लेगा ।

श्री देवेन्दर सिंह रघुवंशी ने गुना में एक मसाला पार्क शुरू करने संबन्धी बोर्ड के प्रस्ताव का स्वागत किया । गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, झालवाड और कोटा आसपास के क्षेत्र है और जीरा, धनिया, सरसों सहित श्रेष्ठ गुणवत्तावाले बीजीय मसाले यहाँ उपलब्ध हैं ।

मद सं.13: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं पर स्टैटस नोट

निदेशक(विपणन)ने मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नई, तूत्तुकोरिन और कोलकत्ता में गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना संबंधी स्थिति का विवरण दिया ।

बोर्ड ने नोट किया और विभिन्न केन्द्रों में गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित करने के तहत बोर्ड की सराहना की ।

मद सं.14: वर्ष 2010-11 केलिए मसालों के गुणवत्ता संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

निदेशक(विपणन) ने बताया कि बोर्ड बडे पैमाने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, चूँकि फसलोत्तर प्रबन्धन स्पाइसेस बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि यह केवल एक अस्थाई कार्यक्रम है और सदस्य अपनी ओर से इसमें परिवर्तन लाने का सुझाव कर सकते हैं ।

श्री अबुल कलाम ने कर्नाटक राज्य के कृषकों द्वारा महसूस की जानेवाली भाषाई समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि यहाँ नियुक्त अधिकाँश क्षेत्र अधिकारी केरल और तमिलनाडु के हैं, जिन्हें स्थानीय कन्नड भाष मालूम नहीं है । कृषक लोग तो अनपढ भी है । इसलिए उन्होंने कृषकों के हित केलिए कन्नड भाषा जाननेवाले अधिकारियों को नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की । अन्यथा वहाँ नियुक्त अधिकारियों, अधिमान्यतः क्षेत्र अधिकारियों केलिए बोलचाल की भाषा में कुछ प्रशिक्षण पर भी विचार किया जा सकता है ।

डॉ .जे. थॉमस, निदेशक(अनु.) ने बताया कि कृषकों केलिए आयोजित होनेवाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों के अलावा, स्थानीय भाषा जाननेवाले स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाता है । मडिकेरी के अप्पंगला का इलायची अनुसन्धान केन्द्र इसका उदाहरण है । स्पाइसेस बोर्ड ऐसे कार्यक्रमों केलिए स्थानीय संस्थाओं तथा अधिकारियों को हमेशा शामिल करता आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारीगण कर्नाटक के हैं, इसलिए भाषा की समस्या नहीं हो सकती । वस्तुतः, भर्ती के समय साक्षात्कार केलिए आने वाले की भाषा की हम परवाह नहीं करते । असल में, हमने कन्नड जाननेवाले दो अधिकारियों को कर्नाटक में नियुक्त किया था लेकिन बाद में उन लोगों ने इस्तीफा दी ।

श्री फिलिपि कुरुविळा ने सुझायां कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नाशकजीवनाशी अवशेष के मामलों को भी शामिल किया जाना चाहिए । उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्यातकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को शामिल करने का अनुरोध किया और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में मसाला उद्योग से एक सस्य विज्ञानियों की सेवाओं का वादा किया ।

श्री देवन्दर सिंह रघुवंशी ने आग्रह किया कि बीजीय मसालों तथा पुदीना के प्रमुख उत्पादन केन्द्र होने के कारण गुना(मध्यप्रदेश राज्य) में कृषकों केलिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी विचार किया जा सकता है । यदि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आधा दिन के बजाय एक पूरे दिन का हो तो अधिक बेहतरीन होगा ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड ने पिछले वर्ष दिसंबर में गुना के बीजीय मसाला कृषकों केलिए गुणवत्ता जानकारी कार्यक्रम चलाया था, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड से हिन्दी जाननेवाले अधिकारी गणों ने भी भाग लिया था । कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम केलिए जो कुछ हम कर रहे हैं गुना सहित अन्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वयन के लिए विचार योग्य है । उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ अपेक्षित है, कार्यक्रम की समयावधि एक पूर्ण दिवस की बनाई जा सकती है ।

श्री अबुल कलाम ने आग्रह किया कि जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषकों को केरल और कर्नाटक की मसाला कृषि प्रणालियाँ समझाने केलिए यहाँ ले आ रहे है, वैसे ही कर्नाटक के कृषकों को भी मसालों की खेती संबन्धी अधिक जानकारी पाने केलिए केरल आने का मौका मिलना चाहिए ।

विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन किया ।

मद सं 15: <u>1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि केलिए बोर्ड के अन्तिम लेखे का अनुमोदन</u>

2009-10 के लिए बोर्ड का अन्तिम लेखा, जिसमें 31.3.2010 तक की प्राप्ति और भुगतान तथा आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र शामिल है, बोर्ड के सामने रखा गया । निदेशक(वित्त) ने सूचित किया कि इस लेखे की महा लेखाकार के कार्यालय द्वारा लेखा-परीक्षा की जाएगी और आँकडों में थोडा सा परिवर्तन हो सकता है ।

बोर्ड ने लेखे का अनुमोदन किया और प्रमाणन हेतु लेखा-परीक्षा केलिए प्रस्तुत करते समय यदि कोई संशोधन हो तो, उसे लाने केलिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया ।

मद सं:16 : <u>स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय मैनुअल</u>

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कार्डमम् बोर्ड के रूप में इसके उद्भव से लेकर पिछले 40 साल तक बोर्ड के किसी भी प्रकार का मैनुअल नहीं था । भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक (सी ए जी) ने एक आन्तरिक लेखा-परीक्षा मैनुअल के अभाव पर संकेत किया था । इसलिए हम ने बृहद रूप में, जैसे कार्यसूची पर टिप्पणी में बताया गया है, पाँच मैनुअल तैयार किए है । इन्हें तैयार करने में लगभग एक साल लगा । द इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इण्डिया, केरल चैप्टर को मैनुअल तैयार करने का कार्य सौंपा गया था । निम्नलिखित मैनुअल तैयार किए गए :

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा संबन्धी मैनुअल
2. शक्तियों का प्रत्यायोजन संबन्धी मैनुअल
3. सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन मैनुअल
4. सामान्य क्रियाविधि संबन्धी मैनुअल
5. कार्यालय प्रशासन संबन्धी मैनुअल

बोर्ड ने मैनुअलों का अनुमोदन किया और इन मैनुअलों में यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो उसे लाने केलिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत भी किया । जारी करने से पहले मैनुअल के पन्नों का सचिव द्वारा अधिप्रमाणन किया जाए ।

मद सं.17 : <u>स्पाइसेस बोर्ड (भर्ती) विनियम, 2010</u>

निदेशक(वित्त) ने भर्ती विनियम, 2010 के मुख्य मुद्दों का विवरण दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कृषि सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन जैसे पदों केलिए उच्चतम योग्यताएँ शामिल की गई है, ताकि स्पाइसेस बोर्ड में सुयोग्य व्यक्तियों का चयन हो जाए । उच्चतम योग्यताओंवाले व्यक्तियों की भर्ती के पीछे का उद्देश्य, चुनौतियों का सामना करने केलिए संगठन की भविष्य की माँग के मद्देनज़र है । स्टाफ केलिए प्रशिक्षण प्रदान करना भी इसका भाग है ।

श्री एस. अहमद, भा प्र से, ने विकास स्टाफ केलिए कृषि और वनस्पति विज्ञान के साथ बागवानी में डिग्री को भी योग्यता के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया । अध्यक्ष महोदय इस सुझाव से सहमत हो गए ।

उम्मीद हमारी है । ऐसा एक व्यापक कालीमिर्च पुनःरोपण और पुनर्युवन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान, इस साल की आई पी सी बैठक इधर आयोजित करने का अनुपम अवसर भारत को मिला है ।

श्री जोर्ज वैली का शक था कि क्या हम आनेवाले वर्षों में कालीमिर्च के उत्पादन में वृद्धि की प्रतीक्षा कर सकते है ? चाहे उत्पादन बढ भी जाए, यह केरल में संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ कटाई के समय फलियाँ तोडने केलिए मजदूरों की कमी रहती है ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक को बडा सफल बनाने में सभी सदस्यों के हार्दिक सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया ।

यह सूचित किया गया कि इस बैठक के आयोजन का खर्च बहुत ज्यादा है और भारत सरकार पर्याप्त राशि नहीं दे पाएगी और बैठक की सफलता में निर्यातकों का सहयोग निर्णायक रहेगा ।

बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय को निर्यातकों के समर्थन और सहयोग केलिए उनसे संपर्क करने को प्राधिकृत किया । श्री फिलिपि कुरुविळा ने, जो अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम (ए आई एस ई एफ) का अध्यक्ष भी है, वादा किया कि वे प्रमुख निर्यातकों को बैठक केलिए पर्याप्त अंशदान देने और सहयोग प्रदान करने केलिए प्रेरित करेगा ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक सायं 4.15 बजे समाप्त हुई ।

.....